सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

प्रपत्र–VI

समाहर्ता–सह–समुचित सरकार

अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

चूँकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–हेला थाना नं0–**274**, राजस्व थाना–**परसा**, अंचल–**परसा**, जिला–सारण में कुल–**3.2775** एकड़ यानि–**1.3263** हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा परियोजना छपरा–मुजफ्फरपुर नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित है। इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई आद्री संस्थान पटना द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एवं आकलन प्रतिवेदन में कोई नकारात्मक टिप्पणी अंकित नहीं है। भू–अर्जन के कारण कुल शून्य परिवारों की विस्थापित होने की संभावना है। प्रभावित परिवारों के पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये है। अतएंव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–**हेला**, थाना नं0–**274** राजस्व थाना–**परसा** अंचल–परसा जिला–सारण में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिये कमोवेस कुल–**3.2775** एकड़ यानी–**1.3263** हेक्टेयर मानक [illegible] भूखंड, जिसका विस्तृत अर्जनधीन विवरणी निम्नलिखित है:–

मौजा– हेला

क्रम सं0	खाता सं0	खेसरा सख्या	अर्जना किया जाने वाला क्षेत्र (एकड़)	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	वर्तमान व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पु0	प0
1	47	348	0.015	रैयती	भीठ	चमन चौधुर वल्द हीरा चौधुर वा जंगी वल्द सुबेदार चौधुर वो गोपाल चौधुर वो जमदार चौधुर वो दरीक्षण वो सुन्दर चौधुर, साकिन–हेला	327	349	सड़क	348 अंश
2	34	349	0.05	रैयती	बगीचा	मु0 धनदेव जौजे मेघा महतो सा0–हेला	348	360	सड़क	निज
3	3	360	0.06	रैयती	बगीचा	हरि लोहार वल्द सोहन वो सुखदेव वो वचन वल्द जनक शिववचन वल्द शंभू वो मु0 सहोदरी जौजे तिलकधारी सा0–हेला	349	361	सड़क	निज
4	17	361	0.07	रैयती	सिशवानी	मु0 पिअदिया जौजे खेदर चमार सा0–हेला	.360	368	सड़क	निज
5	41	368	0.11	रैयती	सिशवानी	डोमा हजाम सा0–हेला	361	369	सड़क	369 अंश
6	48	369	0.10	रैयती	बगीचा	समपत महतो वल्द जीवन महतो वो मु0 कछिया जौजे दमरी महतो सा0–हेला	368	370	सड़क	369 अंश
7	21	370	0.10	रैयती	बगीचा	महाराज महतो वो उगराह महतो सा0–हेला	369	371	निज	निज
8	24	371	0.10	रैयती	बगीचा	मु0 सावित्री कुंवर जौजे काशी लोहार वो मनेसर वल्द खखर सा0–हेला	370	372	निज	निज

9	3	372	0.10	रैयती	बगीचा	हरि लोहार वल्द सोहन वो सुखदेव वो वचन वल्द जनक शिववचन वल्द शंभू वो मु0 सहोदरी जौजे तिलकधारी सा0–हेला	371	375	निज	निज
10	8	375	0.11	रैयती	बगीचा	फुला महतो वल्द पुरन महतो सा0–हेला	372	376	निज	निज
11	40	376	0.32	रैयती	बगीचा	नंद महतो वल्द जोधन महतो सा0–हेला	375	397	निज	निज
12	47	397	0.09	रैयती	भीठ	चमन चौधुर वल्द हीरा चौधुर वा जंगी वल्द सुबेदार चौधुर वो गोपाल चौधुर वो जमदार चौधुर वो दरीक्षण वो सुन्दर चौधुर, साकिन–हेला	376	400	397 अंश	397 अंश
13	47	400	0.10	रैयती	भीठ	चमन चौधुर वल्द हीरा चौधुर वा जंगी वल्द सुबेदार चौधुर वो गोपाल चौधुर वो जमदार चौधुर वो दरीक्षण वो सुन्दर चौधुर, साकिन–हेला	397	411	400 अंश	400 अंश
14	21	408	0.08	रैयती	धनहर	महाराज महतो वल्द उग्रह महतो साकिन–हेला	411	417	414	408 अंश
15	47	411	0.12	रैयती	भीठ	चमन चौधुर वल्द हीरा चौधुर वा जंगी वल्द सुबेदार चौधुर वो गोपाल चौधुर वो जमदार चौधुर वो दरीक्षण वो सुन्दर चौधुर, साकिन–हेला	400	414	411 अंश	411 अंश
16	21	414	0.09	रैयती	भीठ	महाराज महतो वो उगराह महतो सा0–हेला	411	416	निज	408
17	8	416	0.0025	रैयती	भीठ	फुला महतो वल्द पुरन महतो सा0–हेला	414	417	निज	417
18	8	417	0.22	रैयती	धनहर	फुला महतो वल्द पुरन महतो सा0–हेला	414	420	निज	निज
19	33	420	0.28	रैयती	धनहर	देव कुमार महतो वो छुछु वल्द तपसी महतो सा0–हेला	417	426	निज	निज
20	8	426	0.37	रैयती	धनहर	फुला महतो वल्द पुरन महतो सा0–हेला	420	427	निज	निज
21	21	427	0.33	रैयती	धनहर	महाराज महतो वो उगराह महतो सा0–हेला	426	428	निज	निज
22	22	428	0.10	रैयती	धनहर	महाराज महतो वल्द उग्रह महतो साकिन–हेला	427	429	428 अंश	428 अंश
23	42	429	0.08	रैयती	दो फसला	धरीक्षण महतो वो रामेश्वर महतो वो जलेश्वर महतो वो हरदेव महतो वल्द मोहिपत महतो साकिन–हेला	428	433	429 अंश	429 अंश
24	48	432	0.15	गैरमजरूआ आम	सड़क	गैरमजरूआ आम	432 अंश	432 अंश	सिवान अरना	360 वगैरह

25	44	433	0.13	रैयती	धनहर	रामजती महत रामजीवन महतो वा मु0 बुनीया जौजे दमरी महतो सा0–हेला	429	सिवान गणेश पट्टी	433 अंश	433 अंश

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधो के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया ज़ा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोद्रने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण और उनके कर्मचारी तथा रेलवे विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी को प्राधिकृत करते है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

15/12/18

समूचित सरकार
–सह–
समाहर्त्ता
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 645 / दिनांक 17.12.18

प्रतिलिपिः– आयुक्त सारण प्रमंडल को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियॉ सी0डी0 के साथ–साथ दो दैनिक समाचार पत्रो जिनमें एक स्थानीय भाषा (हिन्दी) में हो, प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण को यथाशीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक–सह–विशेष सचिव भू–अर्जन निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, सारण, छपरा को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पाँच–पाँच प्रतियॉ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को यथाशीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यापालक उप मुख्य अभियंता (नि0)II, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला अवर निबंधक सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– संबंधित अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/12/18

समूचित सरकार
–सह–
समाहर्त्ता
सारण, छपरा।